



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229446
CG-DL-E-06092021-229446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943

No. 251]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

सं. 21/2015-2020

विषय: मलावी से पीजन पीज के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के संबंध में।

फा. सं. एम-5012/300/2002-पीसी 2(क)/पार्ट-I /ई-2578.—विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार द्वारा 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 24 जून, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 08/2015-20 की निरंतरता में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा समझौता ज्ञापन के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया/तौर तरीके निर्धारित करते हैं।

2. भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत आगामी पांच वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली मलावी उद्गम के तूर (पीजन पीज) का 50,000 मीट्रिक टन वार्षिक कोटा प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है।

3. तदनुसार, राजकोषीय वर्ष 2021–22 के दौरान मलावी से आयात किए जाने वाले 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:—

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगा: (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

(ख) आयात मलावी सरकार द्वारा दिए गए स्टॉप युक्त मलावी राजस्व प्राधिकारी के सीमाशुल्क और उत्पाद प्रभाग के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित "उद्गम प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय (जिसमें दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा का ब्यौरा शामिल है) नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ई-मेल आईडी: policy2-dgft@gov.in को भेजेगा।

घ. यहां भारत में आयातक अपने आईईसी ब्योरों सहित यथोक्त जारी प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति उपर्युक्त ई-मेल पते पर ही अर्थात् policy2-dgft@gov.in पर अनापति प्रमाणपत्र के लिए डीजीएफटी को मेल भेजेगा। डीजीएफटी इन दोनों दस्तावेजों का मिलान करेगा और आवेदक आयातक को अनापति प्रमाणपत्र देगा जिसके आधार पर सीमाशुल्क विभाग खेप की निकासी करेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मलावी से 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) के आयात हेतु प्रक्रिया/तौर तरीके को निर्धारित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th September, 2021

No.21/ 2015-20

Subject: Implementation of MoU between Government of Republic of India and Government of Republic of Malawi for import of pigeon peas from Malawi - reg.

F. No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/PART-I/E-2578.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020) and in continuation of Public Notice No.8/2015-20 dated 24th June, 2021 regarding Memorandum of Understanding (MoU) between Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Malawi for import of 50,000 MT of tur (pigeon peas) by India, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the procedures / modalities for complying with the aforesaid provisions under the MoU.

2. In pursuance of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of India and Government of the Republic of Malawi, India has agreed to provide an annual quota of 50,000 MT of tur (pigeon peas) of Malawi origin to be imported, through private trade, over the next five financial years, i.e. from 2021-22 to 2025-26 (April to March).

3. Accordingly 50,000 MT of tur (pigeon peas) to be imported from Malawi, during the fiscal year 2021-22 is allowed for import, subject to the following conditions:

- a. Import will be allowed only through the following 5 ports: (i) Mumbai, (ii) Tuticorin, (iii) Chennai, (iv) Kolkata and (v) Hazira
- b. Import will be subject to production of "Certificate of Origin" certified by the authorized signatories of Customs and Excise Division of Malawi Revenue Authority with stamps provided by

the Government of Malawi, which is being shared with the concerned Customs authorities of the above ports and CBIC.

- c. While providing the Origin Certificate (including details of the exporter, importer and quantity of pulses), the designated authority will send a scanned copy of the certificate to the e mail ID: policy2-dgft@gov.in.
 - d. The importer here in India will send a mail to DGFT with scanned copy of the certificate issued as above along with its IEC details, for NOC on the same e-mail address as above, i.e. policy2-dgft@gov.in. DGFT will compare both these documents and allow NOC to the applicant importer, based on which Customs will clear the consignments.
4. **Effect of this Public Notice:** Procedure / modalities for import of 50,000 MT of tur (pigeon peas) from Malawi under the MoU are laid down.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.